छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक : 10/3/2017

क्रमांक एफ—10—13/2017/वाक/पांच (17) — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15—ख की उप—धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—10—44/2016/वाक/पांच (77), दिनांक 30 नवंबर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

अंक ''28.02.2017'' जहां भी आये हों के स्थान पर, अंक ''30.06.2017'' प्रतिस्थापित किया जाये।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> > (ए.पी. त्रिपाठी) विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 10/3/2017

क्रमांक एफ—10—13/2017/वाक/पांच (17)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—10—13/2017/वाक/पांच (17), दिनांक 10/3/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदे**मा**ानुसार,

> (ए.पी. त्रिपाठी) विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, dated: 10.03.2017

No. F-10-13 /2017/CT/V (17) - In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this departments notification No. F-10-44/2016/CT/V (77), dated 30th November 2016, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures "28.02.2017", wherever they occur the figures "30.06.2017" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(A.P. Tripathi) Special Secretary